न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0— 64/2016

08.09.2022

उभय पक्ष की हाजिरी है। वादी द्वारा दाखिल दिनांक—07.07.2022 का प्रतिस्थापन आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 धारा 151 सी.पी.सी. को प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी सं0—1 ललन सिंह की मृत्यु दिनांक—31.03.2022 को हो चुकी है। अतः उनका नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए ।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन समय—सीमा के अन्दर नहीं है। अतः न्यायहित में वादी के दिनांक—07.07.2022 के आवेदन को 500/— रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि वादी सं0—1 ललन सिंह का नाम कलमजद कर आवेदनानुसार उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक—02.11.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव